

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

न्यायालय उप शवदु अधिकारी हमीरगढ  
हुजराप  
फ० सं ३/१४

२-२१४

उत्तरवाक  
श्री रामलाल व नाम श्रीमती बाली  
हुजराप प्रापता पुत्र बाद जाल  
पेश। दिव्यी को प्रमाणित प्रती  
बुद्धिपूर्वक त. ११ रोजे प्रमाणित  
भोजा पूरा वार पत्रावली दिनांक  
२१-३-१४ को पेश है।

२१-३-१४

पञ्चवली पेश उमवपक  
उपस्थित/पीठारीन अधिकार जी  
अनुप व्याप म. ए. पर-त. पत्रावली  
दिनांक ११-७-१४ को पेश है।  
राज  
आदेश से रीडर

१५-६-१४

पत्रावली को ब्याप आजाडा  
पूर पेश/ सिपेट पलवारो हलवा अन्तर  
हलवा अन्तर या अन्तर लसई  
हु. अला; पत्रावली म कोड व्यापवा  
उपस्थित हाही होने से पत्रावली २१५  
को आता है।  
पत्रावली पेशाल सुमार हुक्म  
गम्बर से वाम है